

कार्यालय-अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
परिपत्र सं०-वा०क०अधि०/न्या०का०वि० / - /2023.दिनांक::सित० 06 ,2023

:-परिपत्र:-

मेरे द्वारा कार्यालयों से प्राप्त न्यायालय कार्य विवरण पत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान की कतिपय पीठों में अधिक संख्या में पुराने एक सदस्यीय/दो सदस्यीय नियमित वाद लम्बित हैं साथ ही दूषित व विविध वाद भी लम्बित हैं, जबकि ऐसे वादों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिये।

अतः समस्त सदस्यगण को निर्देशित किया जाता है कि पुराने एक सदस्यीय/दो सदस्यीय नियमित वादों तथा दूषित व विविध वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

ह०/06.09.2023

(रणधीर सिंह)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा०क०अधि०/न्या०का०वि० / 1178 /2023,तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- ✓ 2. वेब अधिकारी, मुख्यालय
3. वरिष्ठ सहायक(विवरण), मुख्यालय को गार्ड फाइल हेतु

आज्ञा से



(तरुण कुमार)

निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ